न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास इन्द्राजसिंह आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या - 297/2018

निर्णय दिनांक - 10.12.2019

सत्यवीर पुत्र गोरधन जाति मेघवाल निवासी गोठ्या छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू
- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह गोछवाल अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकारराज वास्ते अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पैमाइश व पत्थरगढ़ी का अन्तर्गत धारा 111, 128 राज० भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या - 19 ख०न० 148 तादादी 1.52 है० ख०न० 178 तादादी 1.91 है०, ख०न० 195 तादादी 1.77 है० कुल तादादी 5.20 है० वाके रोही गोठ्या छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थी 1/10 हिस्सा का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपनी कृषि भूमि पर काबिज हो कर काश्त व उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त कृषि भूमि टी विवादित कृषि भूमि है। प्रार्थी के खेत पड़ोसीयान ने प्रार्थी के हक हिस्सा की कृषि भूमि की चारों सीमाओं को दबाकर सीमाओं पर अतिक्रमण करना चाह रहे है और प्रार्थी के हक हिस्सा की कृषि भूमि की सीमाओं को तोड़कर सीमा विवाद बनाये हुए है जिस कारण प्रार्थी के लिए अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया

2.

जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी के कहने व कहलवाने पर भी पड़ोसी खातेदारान ने ऐसा मानने से इंकार कर दिया जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा आदि-आदि पेश कर अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थी पक्ष को नियमानुसार तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी से वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रकरण पैमाईश करवाकर अपने खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह पैमाईश के मुताबिक कायम करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया है, ऐसे में मौका पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीक किया जाकर विवादित कृषि भूमि खातासंख्या-19 वाके रोही गोठ्याछोटी तहसील राज जिला चूरू की योग्य टीम से पैमाईश पुख्ता सीमा चिन्ह से पक्षकारान व पड़ोसी खा की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी योग्य टीम गठित करके रोही ग्राम गोठ्याछोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खातासं. 19 खसरा नं० 148 तादादी 1.52 हे० ख० नं० 178 तादादी 1.91 हे० ख० नं० 195 तादादी 1.77 हे० कुल तादादी 5.2 की मौका पर पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पैमाईश पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशानदेही दी जाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाई जावे तदनुसार पालना हेतु परवाना जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)